न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 504 / 2024

अनवान : –

1. हरिराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. नोरा देवी पत्नी जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. गुडी देवी पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. केसर पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. शारदा पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. सावित्री पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. गिरदावरी पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
8. सुमित कुमार पुत्र सन्तोष पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
9. दिनेश कुमार पुत्र सन्तोष पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 62 / 9 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 55.5540 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा एवं खाता संख्या 63 / 8 के खसरा नं. 283 की कुल 0.6070 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक जोराराम पुत्र तेजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोराराम पुत्र तेजाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। जोराराम पुत्र तेजाराम का स्वर्गवास हो चुका है जोराराम पुत्र तेजाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 जो कि वादी की बहिने है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्रों / भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 जो कि वादी की मृतक बहिन सन्तोष के [illegible] उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी [illegible] के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का उपरोक्त [illegible]मि में कोई हक हिस[illegible] नहीं बचा है बाद हक त्याग दोनो खातों की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि. ब0 काबिज है वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:26:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण जोराराम, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोराराम पुत्र तेजाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। जोराराम पुत्र तेजाराम का स्वर्गवास हो चुका है जोराराम पुत्र तेजाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 जो कि वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 जो कि वादी की मृतक बहिन सन्तोष के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई/मामा के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग दोनो खातों की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि. ब0 काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राजस्व रिकार्ड सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:26:20 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 62/9 के कुल खसरे 8 की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल तादादी 55.5540 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 63/8 के खसरा नं. 283 की कुल 0.6070 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक जोराराम पुत्र तेजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोराराम पुत्र तेजाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। जोराराम पुत्र तेजाराम का स्वर्गवास हो चुका है जोराराम पुत्र तेजाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 जो कि वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 जो कि वादी की मृतक बहिन सन्तोष के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई/मामा के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग दोनो खातों की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि. ब0 काबिज है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक दीपाराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 62/9 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 55.5540 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का नाम कलमजन किया जाकर एवं खाता संख्या 63/8 के खसरा नं. 283 की कुल 0.6070 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक जोराराम पुत्र तेजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:26:20 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 504/2024

अनवान : –

1. हरिराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. नोरा देवी पत्नी जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. गुडी देवी पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. केसर पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. शारदा पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. सावित्री पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. गिरदावरी पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
8. सुमित कुमार पुत्र सन्तोष पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
9. दिनेश कुमार पुत्र सन्तोष पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 504 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 62/9 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 55.5540 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का नाम कलमजन किया जाकर एवं खाता संख्या 63/8 के खसरा नं. 283 की कुल 0.6070 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मृतक जोराराम पुत्र तेजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/6/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:26:20 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर